राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2668/2007

लाल मोहम्मद **–अपीलार्थी**

बनाम

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य।

प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 30.04.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर दिनांक 07.06.1960 को हुई थी (अनुलग्नक–1)। उसके पश्चात विभाग द्वारा दिनांक 12.03.1964 (अपील में अंकित तिथि 19.03.1964) द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक 711 पर अंकित है (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी बीमार होने के कारण लम्बे अवकाश पर रहा और पुनः बीमारी से ठीक होने के पश्चात् राजकीय सेवा में लेने हेतु काफी बार निवेदन किया लेकिन अपीलार्थी को सेवा में नहीं लिया गया। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 27.09.1940 है, जिसके अनुसार वह दिनांक 30.09.1998 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया लेकिन उसके संबंध में विभाग द्वारा कोई भी सेवानिवृत्ति आदेश जारी नहीं किया गया और न ही से सेवानिवृत्ति पश्चात मिलने वाले पेंशन संबंधी लाभ दिए गए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के सेवा समाप्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी प्रकार की उसके विरूद्ध विभागीय जांच की गई। अपीलार्थी विधिक रूप से अपनी सेवानिवृत्ति दिनांक तक सेवा में बना रहा और सेवा में बने हुये रहते मानते हुए विभाग द्वारा उसको सेवानिवृत्ति संबंधी समस्त लाभ दिये जाने चाहिये। अपीलार्थी ने दिनांक 07.12.2006 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपने अधिवक्ता जरिये प्रत्यर्थी विभाग को नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् समस्त सेवानिवृत्ति लाभ दिये जावे और

उसकी सेवा पुस्तिका को भी पूर्ण कर उसे समस्त सेवा संबंधी लाभ दिलवाये जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर से अनुतोष चाहा गया है। विभाग के रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा किसी भी पद पर कभी नियुक्त ही नहीं किया गया और ना ही हस्तगत अपील अपीलार्थी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर के कार्यालय में अथवा उसके अधीन किसी भी विद्यालय में कभी भी कार्यरत एवं पदस्थापित ही नही रहा है। अतः अपीलार्थी की खारिज फरमाई जावे।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वार लम्बे समय तक प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तो माननीय अधिकरण द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मु० बीकानेर को व्यक्तिगत रूप से बुलाये जाने का आदेश पारित किया और जवाब प्रस्तुत करने के लिए भी पाबंद किया। इस संबंध में दिनांक 19.02.2024 को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर ने अधिवक्ता जगन्नाथ खांडपा के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने हुए यह अंकन किया गया कि अपीलार्थी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा किसीभी पद पर कभी भी नियुक्त ही नहीं किया गया वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी को जब नियुक्ति दी गई थी तत्काल समय में चूरू के अधीन अपीलार्थी आता था। इस कथन की पुष्टि इससे भी होती है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये नोटिस का जवाब 19.12.2006 को दिया गया जिसमें वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी कम ब्लॉक प्रा.शिक्षा श्रीडूंगरगढ ने जवाब में यह अंकित किया है कि ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय श्रीडूंगरगढ की स्थापना दिनांक 01.04.2000 को हुई थी। वास्तविकता यह है कि तत्समय जब अपीलार्थी की नियुक्ति हुई थी वह जिला शिक्षा अधिकारी चूरू में नियुक्त हुआ था (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी की सेवा के समय राज्यबीमा की कटौती की जाती थी जिसकी बीमा पॉलिसी जारी की गई थी (अनुलग्नक–5)। अपीलार्थी की समय समय पर छुटिटया स्वीकार की गई है, जिसकी प्रति अनुलग्नक–6 पर है। अपीलार्थी का समय समय पर विभाग द्वारा स्थानान्तरण किया गया जिसकी प्रति अनुलग्नक–7 पर है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी शिक्षा विभाग में कार्यरत था। समय समय पर विभाग द्वारा जो वरिष्ठता सूची

जारी की गई है उसमें अपीलार्थी का नाम है (अनुलग्नक–8)। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.08.1963 द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर अंकित है। विभाग अपीलार्थी की अपील का जवाब जानबूझकर जवाब प्रस्तुत नहीं कर रहा है जबकि अपीलार्थी श्री लाल मोहम्मद की मृत्यु हो चुकी है और उसके विधिक प्रतिनिधि रिकार्ड पर है जिन्हें पेंशन आदि का लाभ दिया जाना है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. हमनें अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.1998 मानते हुए सेवानिवृत्ति परिलाभ दिलवाने एवं सेवापुस्तिका पूर्ण करने का अनुतोष चाहा है। अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 30.09.1998 को सेवानिवृत्त हो गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस संबंध में सेवानिवृत्ति आदेश जारी होना नहीं पाया जाता है। अपीलार्थी के कथन को यदि मान भी लिया जावे तो यह अपील अत्यन्त विलम्ब से वर्ष 2007 में प्रस्तुत हुई है एवं विलम्ब को माफ करने के संबंध में कोई आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 के नियम 9 के अंतर्गत जो अपील प्रस्तुत करने की समयावधि निर्धारित की गई है, उसमें आलोच्य आदेश पारित किये जाने के 6 माह में अपील प्रस्तुत करनी होती है और यदि अपीलार्थी ने अभ्यावेदन दिया है, तो उस स्थिति में भी नियत समयावधि 1 वर्ष में अपील प्रस्तुत करनी होती है। अतः यह अपील अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने लिए निर्धारित समय सीमा से अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर विचार किए बिना अपील अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)